प्रेषक,

संख्या-631/सम-73-2011

शिव शंकर सिंह,
विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना,
लखनऊ।

समन्वय अनुभाग

लखनऊः दिनांक 04 अप्रैल,2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-05/वि0 एवं ले0/2011, दिनांक 01.04.2011 तथा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च,2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रूपये-100000 हजार (रूपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात् रूपये-50000 हजार (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यह धनराशि भारत सरकार/विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जायेगी। विभागों हेतु स्वीकृत धनराशि से मदवार आवंटन परियोजना समन्वयक, डास्प के स्तर से किया जाएगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-2 में उल्लिखित प्राविधानों में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि डास्प की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय की जाएगी। जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है उन्हीं मदों पर विश्व बैंक की गाईडलाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक में नहीं रखी जाएगी।

..2..

Time 6:30 PM